राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक स.3(9)(04)स्था/मंत्रा/अभि/2017/17076-17082 दिनांकः– 18/12/17

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय, संयुक्त परीक्षा, 2011 की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियो को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) द्वारा उनके पत्र कमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.3/2016 दिनांक 12.09.2017 से इस विभाग को लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरुप राजस्थान कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यार्थियो को अभियोजन विभाग में रिक्त लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– प्रतिमाह एंव परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीनस्थ एतदद्वारा किया जाता है :–

क्र. सं.	अभ्यार्थी का नाम व पिता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	पदस्थापन स्थान
1.	श्री हरी शंकर शर्मा पुत्र श्री रामभरोसी लाल शर्मा	सामान्य	01-04-1978	506-A	207907	सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर

1. उक्त नियुक्ति डी.बी.स्पेशल रिट अपील संख्या – 3881/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम हरी शंकर शर्मा में पारित आदेश दिंनाक 16.05.17 एंव अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनाक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनाक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिंनाक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक रूपये 14600/–(Fixed Remuneration) के हकदार होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें। यदि इनका कार्य परिवीक्षा अवधि में सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो इनकी सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के पश्चात सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जावेगी।
3. उपरोक्त अभ्यार्थी को आदेश जारी होने की दिंनाक से 25 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो,तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई

हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

6. दो वर्ष की परीविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एंव उस पर अन्य भत्ते देय होगें।

7. परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित आदेश द्वारा प्रेषित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिंनाक 28.01.04 एंव **27.03.04 संशोधित आदेश दिंनाक 30.10.17 व 09.12.2017 के तहत** अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होगें।

9. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एंव समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

10. उक्त अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त **सूचनाऐ एंव संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजो** में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

11. उक्त अभ्यार्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उर्त्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

12. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

13. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इनका पदस्थापन जिले में रिक्त लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।

-sd/-

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर।
2. उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यार्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो तत्पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावें। **इनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त** का सत्यापन तथा चिकित्सा **स्वास्थ्य जाँच करा ली गयी है, जिसकी प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है।**
4. **<u>रजिस्टर्ड</u> – श्री हरी शंकर शर्मा पुत्र श्री रामभरोसी लाल शर्मा**, निवासी :– गांव चांदोली, पोस्ट खानुआ, तहसील–रूपवास, जिला–भरतपुर 321404 (राज.) को भेजकर लेख है कि आप 15 दिवस की नियत अवधी तक आवश्यक रुप से कार्यग्रहण कर लेवें।
5. निजी पत्रावली/ विधि शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

7726 / 18/12/17

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।